प्रेषक

महानिदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,
शिक्षा सदन, सैक्टर–5, पंचकूला।

सेवा में

रजिस्ट्रार,

1. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र।
2. महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक।
3. भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुरकलां, सोनीपत।
4. चौ0 देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा।
5. चौ0 बंसीलाल विश्वविद्यालय, भिवानी
6. चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जीन्द।
7 इन्दिरा गांधी विश्विद्यालय, मीरपुर (रेवाड़ी)।
8 केन्द्रीय विश्वविद्यालय नारनौल (महेन्द्रगढ़)।
9 वाई0एम0सी0ए0, फरीदाबाद।
10 चौ0 चरणसिंह कृषि विश्वविद्यालय, हिसार।
11 हरियाणा राज्य के सभी राजकीय महाविद्यालय।
12 हरियाणा राज्य के सभी प्राईवेट विश्वविद्यालय।
13 अराजकीय अनुदान प्राप्त, स्वपोषित डिग्री महाविद्यालयों एवं राजकीय शिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य।

यादि क्रमांकः 3/89–2017 छा0(2)
दिनांक, पंचकूला 17/1/2018

विषयः **Submission of On Line Application for Post Matric ScholarshipScheme for SC/ST and OBC Students for the Academic Session 2017-18** 28/2

Date Extended Upto

उपरोक्त विषय पर इस विभाग के पत्र क्रमांक 3/89–2017 छा0(2), दिनांक 28.8.2017, 03.10.2017, 29.11.2017, 19.12.2017 तथा 01.01.2018 की निरन्तरता में ।

ध्यान में आया है कि विश्वविद्यालयों की सेमेस्टर परीक्षाओं के कारण महाविद्यालयों के काफी संख्या में छात्र आवेदन ऑनलाईन नहीं कर पाये हैं। काफी संख्या में शिक्षा संस्थान/विश्वविद्यालय भी अपने--अपने संस्थान को उच्चतर शिक्षा निदेशालय के पोर्टल पर पंजीकृत नहीं करवा सके हैं। जन कल्याण के हित को ध्यान में रखते हुए आपसे उच्चतर शिक्षा निदेशालय द्वारा आवेदन करने एवं पंजीकरण की तिथि पुनः दिनांक 28.02.2018 तक बढ़ाई जाती है। इसके पश्चात् न तो तिथि बढ़ाई जायेगी व न ही कोई आवेदन स्वीकार किया जायेगा।

अनुरोध है कि महाविद्यालय अपने छात्रों को इस बात से सचेत करें कि वे अपने–अपने आवेदन पूर्ण प्रलेखों सहित निर्धारित समय–सीमा के भीतर विभाग के पोर्टल पर अपलोड करें तथा महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय अपने–अपने छात्रों के आवेदन तत्काल वैरिफाई करके तथा अवार्ड रोल तैयार करके निदेशालय में भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।

ध्यान रहे जिन महाविद्यालयों ने अनुसूचित जाति के छात्रों से संबंधित विश्वविद्यालय से अनुमोदित फीस/फण्ड्स लिए हैं, उन्हें पुनः निर्देश दिए जाते हैं कि वे छात्रों को उनसे ली गई राशि छात्रों को वापिस करके निदेशालय को अपना क्लेम निर्धारित प्रोफार्मा में प्रस्तुत करें । फीस/फण्ड्स लेने वाले महाविद्यालयों के क्लेम पर विचार नहीं किया जायेगा। निदेशालय के आदेशों की उल्लंघना के लिए वे स्वयं जिम्मेवार होंगे।

Kuldeep 17/1/18
उप निदेशक छात्रवृति,
कृते महानिदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,
पंचकूला।